

Form No. III
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़

नानालाल

बनाम

भभूतेस

किस्मा मुकदमा

राजस्व प्रार्थना-पत्र

नं०

275

सन्

2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.09.2019	<p>वकील श्री हेमन्त गर्ग के मिसल तलबी प्रार्थना पत्र पर मूलवाद तलब किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र हम किता होकर पेश हुआ। पत्रावली पेश हुई। वकील श्री हेमन्त गर्ग द्वारा मूल वादी नानालाल उर्फ नानुराम पिता रता बलाई निवासी सौकिया की ओर से मूल वाद में अधिकार पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में हाजिर आये। हाजिर वकील वादी द्वारा आदेशिका पर NOT PRESS अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादी नानालाल उर्फ नानुराम पिता रता बलाई निवासी सौकिया द्वारा मूल वाद संख्या 150/2019 अनवानी नानालाल बनाम भभूतेस वगैराह में कार्यवाही विद्रो कर ली गई है। अतः मूल वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 में भी कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश दिया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 के मूल वाद संख्या 150/2019 को वादी द्वारा स्वयं विद्रो कर लिया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः वकील प्रार्थी श्री हेमन्त गर्ग के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 को विद्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक मूल वाद संख्या 150/2019 के साथ हम किता रहें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



- ह० -
(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी),
चित्तौड़गढ़